हिमाचल प्रदेश सरकार

निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश शिमला–171 002

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
2018–19

अनुक्रमणी

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1
2.	कर्मचारियों की स्थिति	1–4
3.	हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना	4–8
4.	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन सोसाईटी	8–9
5.	औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945	9
6.	खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006	10–12
7.	संयुक्त जांच प्रयोगशाला, (सी0टी0एल0) कण्डाघाट	12
8.	गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994	13–14
9.	सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन, व्यापार और वाणिज्य) अधिनियम, 2003 व उसके तहत दिनांक 30–5–2008 को बनाए गए नियम को लागू करना।	14–15
10.	हिमाचल प्रदेश क्लिनिकल स्थापना पंजीकरण अधिनियम।	15–16
11.	निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एम्पैनलमैंट।	16
12.	विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995.	16–17
13.	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994	17
14.	परमाणु उर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 तहत परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962.	17–18
15.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	18

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018–19

निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश शिमला–171 002

1. परिचय :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या हैल्थ–ए–बी (12)1/2002, दिनांक 1 जून, 2009 के अनुसार एक अलग स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में विभिन्न अधिनियमों/नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। वर्तमान में यह निदेशालय निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों का कार्य संचालन कर रहा है:–

1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना
2. औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945
3. खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006
4. संयुक्त जांच प्रयोगशाला (सी0टी0एल0) कण्डाघाट
5. गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
6. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन, व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, 2003 व उसके तहत दिनांक 30–5–2008 को बनाए गए नियम को लागू करना)।
7. हिमाचल प्रदेश क्लिनिकल स्थापना पंजीकरण अधिनियम
8. निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एम्पैनलमैंट
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम, 1988
10. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995
11. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
12. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विकिरण संरक्षण नियम, 1971

2. कर्मचारियों की स्थिति : निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवम् विनियमन में श्रेणीवार कर्मचारियों की स्थिति वर्ष 2018–2019 दिनांक 31–03–2019 तक निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1.	निदेशक	1	1	0	–
2.	ओ.एस.डी.	2	1	1	–
3.	विकिरण सुरक्षा अधिकारी।	1	1	0	यह पद अतिरिक्त कार्यभार से भरा गया है। यह पद निदेशालय मैडिकल ऐजुकेशन (डी. एम. ई.) में सृजित था तथा गलती से इस निदेशालय के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया था। लेकिन अब यह पद आई.जी.एम. सी. में भर लिया गया है इसलिए डी.एच.एस. आर. ने इस पद के सृजन हेतु प्रस्ताव को सरकार को भेजा है।
4.	सहायक औषधि नियंत्रक।	1	1	0	–
6.	विधि अधिकारी	1	1	0	–
7.	सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)	1	1	0	–
8.	अधीक्षक श्रेणी-II	2	2	0	–
9.	वरिष्ठ सहायक	2	2	0	–
10.	लिपिक/कनिष्ठ सहायक।	5	5	0	–
11.	चालक	1	0	1	–
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।	5	5	0	तीन पद पर स्थाई कर्मचारी तथा दो पद आऊटसोर्स से भरे हुए हैं।

औषधि नियंत्रक, बद्दी के कार्यालय में पदों व कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1.	औषधि नियंत्रक	1	1	–	–
2.	उप–औषधि नियंत्रक	1	1	–	–
3.	सहायक औषधि नियंत्रक	2	2	–	–
4.	औषधि निरीक्षक	12	6	6	–
5.	अधीक्षक Grade-II	1	1	–	–
6.	वरिष्ठ सहायक	3	3	–	–
7.	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	6	4	2	–
8.	सेवादार	1	1	–	–

राज्य में सहायक औषधि नियन्त्रकों की संस्थान वार सूची निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन	1	1	-
2.	मण्डी	1	1	-
3.	धर्मशाला	1	1	-
4.	नाहन	1	1	-
5.	बद्दी	2	2	-
	योग..	6	6	-

राज्य में औषधि निरीक्षकों की संस्थान वार सूची निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	जिले का नाम	संस्थान का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
1.	शिमला	शिमला	2	1	1
		रोहड़ू	1	–	1
2.	सोलन	सोलन	2	2	–
		अर्की	1	–	1
		परवाणु	1	–	1
3.	बद्दी	बददी	12	6	6
4.	मण्डी	मण्डी	2	1	1
		सरकाघाट	1	1	–
		सुन्दरनगर	1	1	–
5.	बिलासपुर	बिलासपुर	2	1	1

		घुमारवीं	1	1	–
1	2	3	4	5	6
6.	हमीरपुर	हमीरपुर	1	1	–
		नादौन	1	–	1
7.	कांगडा	धर्मशाला	1	1	–
		देहरा	1	–	1
		नूरपुर	1	1	–
		कांगडा	1	–	1
		संसारपुर टैरेस	1	–	1
		पालमपुर	1	1	–
8	उना	उना	2	2	–
		अम्ब	1	–	1
9	कुल्लु	कुल्लु	1	1	–
10	चम्बा	चम्बा	1	1	–
11	सिरमौर	नाहन	2	2	–
		पौंटा साहिब	2	1	1
12	किन्नौर	किन्नौर	1	1	–
		योग..	**44**	**26**	**18**

1. वर्ष 2018–19 में निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन में सरकार द्वारा 11 औषधि निरिक्षकों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Health–A–A(1)-39/2016 (c) दिनांक 28–2–2019 द्वारा की गई है।

2. वर्ष 2018–19 में निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन में सरकार की नोटिफिकेशन संख्या : Health–A–A(1)-13/2016-(C), दिनांक 10–9–2018 के तहत एक पद उप औषधि नियंत्रक का सृजित किया गया है।

राज्य में सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) की संस्थानवार सूची निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	जिले का नाम	नियुक्ति का स्थान	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	सोलन	सोलन	1	1	–
2.	ऊना	ऊना	1	1	–
3.	शिमला	शिमला	1	1	–
4.	कांगड़ा	कांगड़ा	1	1	–
5.	कुल्लू/लाहौल–स्पीति	कुल्लू	1	1	–

6.	सिरमौर	सिरमौर	1	1	—
क्रम संख्या	जिले का नाम	नियुक्ति का स्थान	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
7.	हमीरपुर	हमीरपुर	1	1	—
8.	चम्बा	चम्बा	1	1	—
9.	किन्नौर	किन्नौर	1	1	—
10.	मण्डी	मण्डी	1	1	—
11.	बिलासपुर	बिलासपुर	1	1	—
12.	निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन	निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन	1	1	—
	कुल..		12	12	—

राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संस्थान वार सूची निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	जिले का नाम	नियुक्ति का स्थान	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	1	0	1
2.	चम्बा	चम्बा	1	1	—
3.	हमीरपुर	हमीरपुर	1	0	1
4.	कांगड़ा	कांगड़ा (धर्मशाला)	4	0	4
5.	किन्नौर	किन्नौर	1	0	1
6.	कुल्लू और लाहौल–स्पीति	कुल्लू	2	0	2
7.	मण्डी	मण्डी	3	0	3
8.	शिमला	शिमला	3	1	2
9.	सिरमौर	सिरमौर (नाहन)	2	0	2
10.	सोलन	सोलन	3	0	3
11.	ऊना	ऊना	1	0	1
		कुल..	22	2	20

3. **हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना :—**

कार्य का ब्यौरा :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और सामाजिक नीति के आधार पर जोखिम को कवर करने का एक तरीका हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 के तहत किए गए समझौते और प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना जून, 1977 के दौरान शुरू की गई थी और बीमाकृत व्यक्तियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है।

कवरेज :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम 1948 की धारा 2 (12) के तहत, यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले कारखानों पर लागू होता है चाहे विनिर्माण की प्रक्रिया में बिजली का उपयोग किया जाए या नहीं। अधिनियम की धारा 1 (5) के अनुसार उक्त योजना को 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमाघरों, थियेटरों, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों और समाचार–पत्र प्रतिष्ठानों व सिनेमाघरों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना को कुछ राज्यों में 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली निजी चिकित्सा और शैक्षिक संस्थानों तक बढ़ा दिया गया है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कवरेज के लिए मौजूदा मजदूरी सीमा 21,000/– है।

योगदान :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके नियोक्ता द्वारा किए जा रहे योगदान पर आधारित है। राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 कारखानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों पर लागू होता है तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लाभ के लिए कर्मचारी द्वारा वेतन का 1.75 अंशदान किया जाता है तथा उसके नियोक्ता द्वारा वेतन का 4.75 अंशदान किया जाता है।

हिमाचल प्रदे□ा मे कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए सोसायटी :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना स्वास्थ्य–ए–(5)1/04, दिनांक 05–08–2009 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रदेश में ESI Society के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। उक्त सोसाईटी, सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दिनांक 30–11–2009 द्वारा पंजीकृत की गई थी व,, सोसाईटी ने दिनांक 01–04–2010 में काम करना शुरू कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग में बीमित व्यक्तियों और सेवाओं को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए समाज की आवश्यकता के अनुसार आऊटसोर्स किया जाता है। नियमित आधार पर स्वीकृत पोस्ट और आऊटसोर्स कर्मचारियों को आगे दर्शाया गया है ।

हिमाचल में कर्मचारी राज्य बीमा संस्थान :

31–03–2019 तक हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 3,14,720 बीमाकृत व्यक्ति पंजीकृत हैं, जिन्हें निम्न अस्पताल/औषधालयों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा प्रदान की जा रही है:–

अनु क्रमांक	जिला	अस्पताल/औशधालय
1.	सोलन	ई0एस0आई0 अस्पताल परवाणु
2.		सी0एच0सी0 दाड़लाघाट
3.		पी0एच0सी0 कसौली
4.		ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी बद्दी
5.		ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी बरोटीवाला
6.		ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी नालागढ़
7.		ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी जाबली
8.		ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी चंबाघाट
9.	ऊना	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी मेहतपुर
10.		ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी टाहलीवाल
11.		ई0एस0आई0 अस्पताल गगरेट
12.	सिरमौर	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी एमसीएम पटिलियन (पांवटा साहिब)
13.		ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी गोंदपुर (पांवटा साहिब)
14.		ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी काला अंब
15.	शिमला	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी शिमला
16.		ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी शोघी

17.	कांगड़ा	पी0एच0सी0 संसारपुर टैरेस
18 .	बिलासपुर	पी0एच0सी0 पंजगाई

वित्तिय वर्श 2018–19 के दौरान ई0एस0आई0 अस्पतालों व डिस्पेंसरियो में ओ0पी0डी0 वार विवरण निम्न प्रकार से है :

अनु क्रमांक	ई0एस0आई0 संस्थान का नाम संस्थान का नाम	ई0एस0आई0	गैर ई0एस0आई0	कुल
1.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी काला अंब, जिला सिरमौर।	1248502	71	24921
2.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी एमसीएम पतलियां, जिला सिरमौर।	21750	–	21750
3.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी गोंदपुर, जिला सिरमौर।	22899	–	22899
4.	ई0एस0आई0 अस्पताल गगरेट, जिला ऊना।	11835	30600	42435
5.	ई0एस0आई0 अस्पताल परवानु, जिला सोलन।	72169	64313	136482
6.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी शिमला, जिला शिमला।	7599	–	7599
7.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी शोघी, जिला शिमला।	73	30566	30639
8.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी टाहलीवाल, जिला ऊना।	15599	99	15698
9.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी बरोटीवाला, जिला सोलन।	36596	8363	44959
10.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी दाड़लाघाट, जिला सोलन।	903	25595	26498
11.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी बद्दी (भुड), जिला सोलन।	44194	3991	48185
12.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी नालागढ़, जिला सोलन।	22553	483	23036
13.	ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी कसौली, जिला सोलन।	1068	8011	9079
14.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी चंबाघाट, जिला सोलन।	10429	12363	22792
15.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी जाबली, जिला सोलन	9245	8774	18019
16.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी मेहतपुर, जिला ऊना।	19053	205	19258
17.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी पंजगाई, जिला बिलासपुर।	619	19618	20237
18.	ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी संसारपुर टैरेस, जिला कांगड़ा।	1822	10209	12031
		योग.. 294516	**237506**	**532022**

माध्यमिक देखभाल के लिए एम्पैन्लमैंट अस्पताल.——राज्य में ई०एस०आई० अधिनियम के अन्तर्गत अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए बीमित व्यक्तियों को माध्यमिक देखभाल प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया है जिसके अतंर्गत प्रदेश के अन्दर 11 अस्पतालों को मान्यता दी गई है और प्रदेश से बाहर 15 अस्पतालों को मान्यता दी गई है। एम्पैन्लड किए गऐ स्वास्थ्य संस्थानों की सूची वेबसाईट http://www.hp.gov.in/dhsrhp पर उपलब्ध है।

राज्य बीमा संस्थान की समेकित स्टाफ स्थिति 31–03–2019 तक निम्न प्रकार से है :–

अनु क्रमांक	श्रेणियों का नाम	स्वीकृति पोस्ट	स्थिति में	रिक्त	रिक्त विवरण
1.	सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) अधिकारी।	1	1	0	
2.	चिकित्सा अधिकारी	40	34	6	दाड़लाघाट 1, गगरेट 1, पंजगाई 2, एमसीएम 1, कसौली 1.
3.	दंत चिकित्सा अधिकारी	7	5	2	पंजगाई 1, टाहलीवाल 1
4.	दंत स्वास्थिक	4	3	1	गगरेट
5.	परिचारिका	24	22	2	शोघी 1, गगरेट 1
6.	वार्ड नर्स	4	2	2	गगरेट 2
7.	डीएसएन	3	0	3	परवाणु 3
8.	एफएचडब्ल्यू/एएनएम	16	13	3	बद्दी, परवाणु, पंजगाई
9.	एफएचएस	4	3	1	दाड़लाघाट
10.	एमएचएस	3	2	1	दाड़लाघाट
11.	एमएचडब्ल्यू	2	0	2	दाड़लाघाट, पंजगाई
12.	प्रयोगशाला तकनीशियन	8	4	4	बद्दी, एमसीएम (गगरेट 2)
13.	प्रयोगशाला सहायक	2	2	0	
14.	फार्मासिस्ट	28	19	9	बद्दी 1, परवाणू 1, कसौली 1, काला अंब 2, शिमला 2, गोंदपूर 1, चंबाघाट 1
15.	मुख्य फार्मासिस्ट	2	1	1	गगरेट
16.	रेडियोग्राफर	5	4	1	गगरेट
17.	चालक	5	2	3	गगरेट 1, दाड़लाघाट 1, पंजगाई 1
18.	क्लर्क	14	6	8	शिमला 1, टाहलीवाल 1, गगरेट 2, गोदपुर 1, काला अम्ब 1, पंचगाई 2
19.	सीनियर सहायक	1	1	0	
20.	रसोईया	2	–	2	परवाणु, गगरेट
21.	शल्य चिकित्सा सहायक	2	–	2	पंजगाई, गगरेट
22.	चतुर्थ श्रेणी	48	22	26	संसारपुर टेरेस 1, परवाणु 5, गगरेट 16, टाहलीवाल 1, जाबली 1, शोघी 1, बद्दी 1.
23.	सफाई कर्मचारी	21	11	10	बद्दी 2, नालागढ़ 1, पंजगाई 2, टाहलीवाल 1, काला अम्ब 1, संसारपुर टेरेस 1, गगरेट 2.
24.	दाई	4	4	0	
25.	स्ट्रेचर बॉय	2	–	2	परवाणु
26.	वार्ड लड़का	1	–	1	शिमला
27.	चौकीदार	1	–	1	शिमला
28.	माली / चौकीदार	1	–	1	गगरेट
29.	नेत्र ophthalmic	3	2	1	गगरेट
30.	स्वास्थ्य शिक्षक	1	1	–	–
31.	दंत चिकित्सा मैकेनिक	3	2	1	टाहलीवाल

32.	दंत चिकित्सा सहायक	1	1	–	–
33.	ड्रेसर	2	–	2	गोंदपुर
	योग.. 265		168	97	

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों में कार्यरत आऊटसोर्स की जनशक्ति स्थिति 31–03–2019 तक निम्न प्रकार से है :

क्रमांक	प्रोग्रामर	जनशक्ति
1.	परिचारिका	21
2.	लैब तकनीशियन	12
3.	फार्मेसिस्ट	15
4.	कंप्यूटर ऑपरेटर	15
5.	डीईओ	34
6.	रसोईया	2
7.	ऑपरेशन थियेटर सहायक	2
8.	डार्क रूम सहायक	1
9.	सेवादार	8
10.	रेडियोग्राफर	1
11.	स्ट्रेचर बॉय	2
12.	प्रोग्रामर	1
	कुल योग..	115

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हि0प्र0 सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ 65 लाख 50 हजार रुपये की राशि बतौर 1/8 भाग के रूप में जारी की गई तथा ई0एस0आई0सी0 द्वारा बतौर 7/8वां भाग मु0 41,10,96,828/– रुपये की राशि जारी की गई जिसके विरूद्ध बिमित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधाएं देने पर कुल 39,16,91,949/– रुपये का व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

अनुक्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018–19
1.	वेतन–नियमित कर्मचारी–12,48,67,935/ वेतन–आऊटसोर्स स्टाफ–1,92,52,188/–	14,41,20,123
2.	उपकरणों की खरीद	16,63,200
3.	फर्नीचर	1,47,288
4.	अन्य प्रशासनिक व्यय	1,37,71,642
5.	दवाओं की खरीद	11,14,05,193
6.	आईपी के ईलाज के लिए आईपी के एमआर दावा और सूचीबद्ध अस्पताल का भुगतान।	12,05,84,503
	कुल योग..	39,16,91,949

4. हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय सोसाईटी :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य एच0एफ0डब्ल्यू–बी0 (एफ)1–1/2008–(लूज़) के अन्तर्गत हि0 प्र0 स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय सोसाईटी का संचालन किया जा रहा है। यह सोसाईटी, सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दिनांक 5–12–2012 को पंजीकृत की गयी थी। इस सोसाईटी ने दिनांक 1–2–2013 से काम करना शुरू कर दिया । यह सोसईटी स्वास्थ्य सुरक्षा से संम्बधित अधिनियमों के कार्यान्वयन को सुचारू रुरू से चलाने हेतु बनाई गई है।

इस सोसईटी के अधीन राज्य मुख्यालय/ज़िला मुख्यालयों में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत व संयुक्त प्रशिक्षण प्रयोगशाला कन्डाघाट मे कर्मचारी आऊटसोरसिंग पर रखे गये हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

क्रम संख्या	पद नाम	संख्या
1	2	3
1.	प्रोग्रामर	02
2.	कम्प्युटर ओपरेटर (एकाऊंट्स)	01
1	2	3
3.	डाटा एंट्री ओपरेटर	34
4.	सफाई कर्मचारी	01
5.	फूड एनालिस्ट	02
6.	अटेंडेन्ट	02
7.	डाईवर	02

5. वर्ष 2018–19 के दौरान औशधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम 1945 के अन्तर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम 1945 भारत सरकार का अधिनियम है। इस अधिनियम से सबंधित प्रावधान को अमल में लाना प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है इसके अतिरिक्त निम्न अधिनियमों का परिपालन भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है।

1. दवाओं की कीमत (नियंत्रण आदेश) 2013 (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)
2. ड्रग्स एंड चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1948

प्रगति रिपोर्ट.—वित्तीय वर्ष 2018–19 में की गई गतिविधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

राज्य में औषधि के लिए गए नमूनों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0स0	विवरण	संख्या
1.	लिए गए नमूनों की संख्या	1622
2.	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	1460
3.	उप–मानक नमूनों की संख्या	25
4.	नकली पाए गए नमूनों की संख्या	0
5.	अभियोजन पक्ष की संख्या	43
6.	निरीक्षण	
	क. बिक्री परिसर	2585
	ख. विनिर्माण परिसर	840
7.	अदालत में लंबित मामलों की कुल संख्या	440

वर्ष 2018–19 में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 पद औषधि निरीक्षकों के इस विभाग में भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है।

वर्श 2018–19 के दौरान दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्र0स0	विवरण	संख्या
1.	खुदरा लाइसैंस की संख्या (फार्म 20 और 21)	386
2.	थोक लाइसैंस की संख्या (फार्म 20बी और 21बी)	361
3.	प्रतिबन्धित खुदरा लाइसैंस की संख्या :(फार्म 20ए और 21ए)	02
4.	औषधि निर्माण लाइसैंस की संख्या (फार्म 25 और 28)	34
5.	औषधि निर्माण (ऋण) लाइसैंस की संख्या (फार्म 25ए और 28ए):	95
6.	औषधि निर्माण लाइसैंस का नवीनीकरण (दवा निर्माण)	11
7.	निलंबित/रदद किए गए लाइसैंस की संख्या	

	क) विनिर्माण परिसर i. अधिनियम के उल्लघंन के कारण ii. स्वयं का अनुरोध	10 19
	(ख) बिक्री परिसर	179

6. खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 :

भारत वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवम् नियम, 1955 के रिपील होने के उपरान्त दिनांक 5–8–2011 से खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 लागू किया गया है जिसमें 101 धाराएं (Sections) हैं तथा 2 अनुसूचियां (Schedules) हैं।

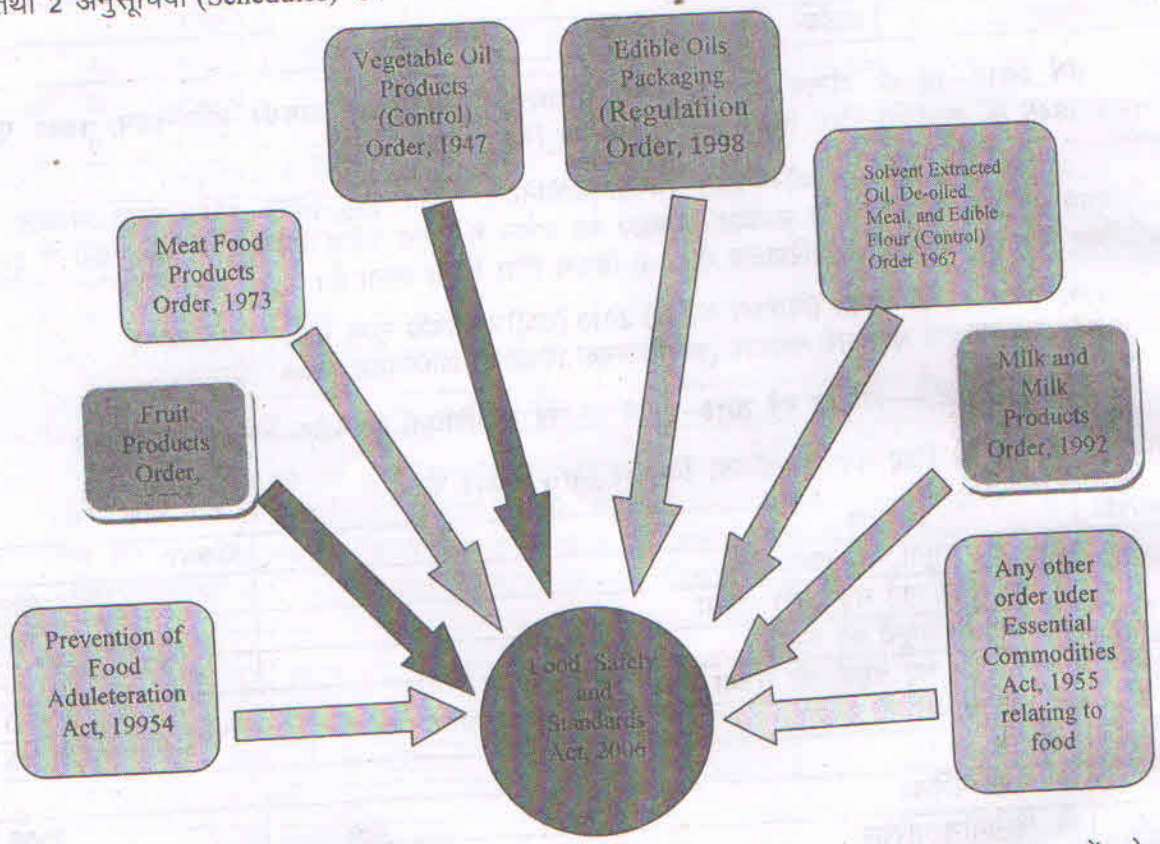

हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु ढांचा।

हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु पुराने ढांचे को नए ढांचे में परिवर्तित करने हेतु निम्नलिखित वांछित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं :–

1. अधिसूचना संख्याः HFW-B(A)2-1/82-III, dated 18–8–2011 द्वारा Principal Secretary (Health) to the Govt. of H.P. को Commissioner of Food Safety अधिसूचित किया गया है।

2. अधिसूचना संख्याः HFW-B(A)2-1/82-III, dated 18–8–2011 द्वारा Director Health Safety & Rgulation को Joint Commissioner (Food Safety), Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।

3.. अधिसूचना संख्याः HFW-B(A)2-1/82-III, dated 18–8–2011 द्वारा ADMs को Adjudicating Officer under Food Safety for Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।

4. अधिसूचना संख्याः HFW-B(A)2-1/82-III, dated 18–8–2011 द्वारा सभी जिलों में कार्यरत खाद्य निरिक्षकों को Food Safety Officer अधिसूचित कर दिया गया है।

5. अधिसूचना संख्याः Health-A-B(1)-9/2006-Loose, dated 03–11–2018 द्वारा Sh. Ripu Daman Kumar, Senior Scientist, CTL Kandaghat को Food Analyst अधिसूचित किया गया है।

संचालन.––प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवम् इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर पदाभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें उक्त अधिनियम को लागू करने एवं इसमें किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त अधिनियम को प्रदेश में सूचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य व्यापार संचालकों को भी जागरूक किया जाए ताकि फूड सेफ्टी सटैण्डर्ड ऐक्ट, 2006 को सूचारू रूप से लागू किया जा सके तथा ज्यादा से ज्यादा उन्हीं खाद्य वस्तुओं के नमूने भरे जाएं जिन में अपमिश्रित होने का अन्देशा हो, नमूने के अपमिश्रित पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध मामला न्यायालय में दायर किया जाए तथा उन्हें न्यायालय से कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की सिफारिश की जाए।

प्रदेश में खाद्य व्यापार संचालकों की सुविधा के लिए ऑनलाईन लाईसैंस तथा पंजीकरण सुविधा प्रारम्भ की गई है, जिससे की खाद्य व्यापारी सीधे ही खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की वेवसाईट

www.fssai.gov.in पर जा कर लाइसैंस व रेजिस्ट्रेशन करवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं इसके प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने 19 दिसम्बर, 2017 से गुटका, खैनी, पान मसाला के क्रय, विक्रय और भंडारण पर एक वर्ष के लिए पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा इसे सुनिश्चित भी किया जा रहा है।

गत वर्ष अक्तूबर माह में प्रदेश को खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा दो मोबाईल टेस्टिंग वाहन दिए गए हैं जिससे दुग्ध एवं अन्य खाद्य पदार्थों का परीक्षण उसी स्थान पर किया जा सकता है। इनवाहन के द्वारा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जन जागरण अभियान चलाया गया जिसमें आम जनता को इस वाहन के फायदों के बारे में बताया गया है।

स्वस्थ भारत यात्रा का हिमाचल में January 2019 में स्वागत किया गया तथा शिमला, सोलन और सिरमौर में इसके उपलक्ष में विभिन्न जन–चेतना कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2018–19 में संयुक्त प्रयोगशालाएं कण्डाघाट में खाद्य प्रायोगशाला को उन्नत करने हेतु रुपये 40,28,000/– खर्च किये गए। जिससे प्रयोगशाला का विस्तारण तथा मुरम्मत की गई।

प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2018–19 निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1.	एकत्रित किए गए कुल नमूनों की संख्या	236
2.	जांच किए गए कुल नमूनों की संख्या	229
3.	फेल/मिसब्रांडिड पाए गए कुल नमूनों की संख्या	43
4.	दोषियों के विरूद्ध न्यायालय में दायर किए गए मामले	10
5.	सजायुक्त (कनविक्शन) मामले	4
6.	खाद्य व्यापार संचालकों की पंजीकरण संख्या	121781
7.	खाद्य व्यापार संचालकों की लाईसैंस संख्या	13309

7. संयुक्त जांच प्रयोग□ाला कण्डाघाट :

संयुक्त जांच प्रयोगशाला की स्थापना अलग–अलग अधिनियमों के तहत एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन करने के लिए किया गया है। इस प्रयोगशाला को विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी विभागों के खाद्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान विभाग, पुलिस विभाग, स्टेट सिविल स्पलाईज इत्यादि द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन किया जाता है।

वर्ष 2018–19 में एकत्रित किए गए नमूनों व उनके आंकलन का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	प्राप्त नमूनों की संख्या	आंकलित नमूनों की संख्या	भोश नमूने
1.	8278	7388	3445

संयुक्त परीक्षण प्रयोग□ाला, कण्डाघाट के कर्मचारियों की स्थिति निम्नलिखित है:–

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क्स
1.	पब्लिक ऐनालिस्ट–कम–कैमिकल एग्ज़ामिनर	1	0	1	

2.	डिप्टी पब्लिक ऐनालिस्ट	1	0	1	
3.	डिप्टी गवर्नमैंट ऐनालिस्ट	1	0	1	
4.	सीनियर साईंटिस्ट	5	3	2	
5.	जूनियर साईंटिस्ट	4	0	4	
6.	सीनियर विश्लेषक	7	2	5	
7.	जूनियर विश्लेषक	6	0	6	
8.	वरिष्ठ प्रयोगशाला टैक्निशियन	6	3	3	
9.	अधीक्षक ग्रेड–2	1	1	0	
10.	वरिष्ठ सहायक	5	4	1	
11.	क्लर्क	4	4	0	
12.	वाहन चालक	1	1	0	
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	5	0	(One is working on Daily waged basis).
14.	चौकीदार	2	1	1	
15.	सफाई कर्मचारी	3	2	1	(One is working on Daily waged basis).
16.	पैकर	1	0	1	
	कुल..	53	26	27	

8. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम एवम् नियम के अन्तर्गत वर्श 2018–19 में किए गए कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

1. राज्य में 31–03–2019 तक 305 अल्ट्रासऊंड क्लिनिक पंजीकृत हैं जिन में से 96 सरकारी व 209 निजी क्लिनिक हैं।
2. सरकार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को अल्ट्रासऊंड क्लिनिकों की नियमित जांच करने के लिये प्राधिकृत किया है। हर पंजीकृत अल्ट्रासऊंड क्लिनिक की कम से कम तीन महीनों में एक जांच सुनिश्चित करना मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सह–जिला उपयुक्त प्राधिकारी के लिये अनिवार्य है।
3. राज्य स्तर पर, राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड, समुचित प्राधिकारी व राज्यसलाहकार समितियां तथा जिला स्तर पर समुचित प्राधिकारी, जिला सलाहकार समितियां जिनकी बैठकें अधिनियम के अनुसार समय–समय पर की जा रही हैं।
4. वर्ष 2018–19 में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षी बोर्ड की माननीय स्वास्थ्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में एक बैठक जुलाई मास में व राज्यसलाहकार समिति की निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन की अध्यक्षता में एक बैठक मई मास में की गई।
5. जिला एप्रोप्रिएट एथोरिटी द्वारा वर्ष 2018–19 में 1121 अल्ट्रासऊंड क्लिनिकों के निरीक्षण किये गये हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर करने हेतु अल्ट्रासऊंड क्लिनिकों के मालिकों को उचित निर्देश भी दिए गए हैं।
6. वर्ष 2018–19 में राज्य में 12 अल्ट्रासऊंड क्लिनिक का पंजीकरण रद्द एवम् 02 अल्ट्रासऊंड क्लिनिक का पंजीकरण निलम्बित किया गया।
7. केन्द्र सरकार ने लिंगानुपात असमानता की गंभीरता को देखते हुए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम जो कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में नौ जिलों को शामिल किया है।
8. राज्य में इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बेटी को बढ़ावा देने हेतु दम्पत्ति को एक व दो लड़कियों के होने के उपरान्त नसबंदी/नलबंदी करवाने पर क्रमशः रुपये 35000/– व रुपये 25000/– की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

9. कन्या भ्रूणहत्या की जांच करने वाले क्लिनिकों की सूचना देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले नकद पुरस्कार की राशि रुपये 10,000/– से बढ़ाकर रुपये 1,00,000/– कर दी गई है। ऐसे मुखबिरों की पहचान को गुप्त रखा जाता है।

10. हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं Fin(c)A(3)-7/2003, dated 04–04–2012 द्वारा लिगांनुपात को सुधारने हेतु बेटी है अनमोल कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों को एक या दो बेटियों पर नसबन्दी/नलबन्दी करवाने पर दो विशेष वेतन वृद्धि का प्रावधान किया है।

11. विभाग की वेबसाईट पर जिलावार अल्ट्रासऊंड मशीनों की सूची समय–समय पर अद्यतन की जाती है। राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारी व निजी क्लिनिकों के मालिकों को पी.सी. एवम् पी. एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाने हेतु जागरूकता अभियान/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। जिससे लिंग अनुपात सुधारने में बढ़ावा मिल रहा है।

12. हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (HIPA), फेयरलॉन्स, मशोबरा, शिमला में महिला एवं बाल विकास द्वारा दो दिवसीय खण्ड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एडीसी, एडीएम, एसपी, डीएसपी, एसएचओ, डीपीओ, डीसीपीओ, डीडब्ल्यूओ, लेबर ऑफिसर, सीएमओएस/एमओएच और एनजीओ के प्रति बैच में लगभग 60 प्रतिभागियों को जून और जुलाई, 2018 में राज्य नोडल अधिकारी द्वारा पीसी और पीएनडीटी अधिनियम में संवेदीकरण प्रदान किया गया।

13. राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारी व निजी क्लिनिकों के मालिकों को पी.सी. एवम् पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाने हेतु जागरूकता अभियान/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। जिससे लिंग अनुपात सुधारने में बढ़ावा मिल रहा है।

9. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियम :

- धूम्रपान व तम्बाकू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य ने तम्बाकू नियन्त्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसके अन्तर्गत एंटी तम्बाकू जागरूकता व तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 (COTPA) हिमाचल प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
- COTPA कानून के तहत तंबाकू नियन्त्रण के लिए राज्य में राज्य व जिला स्तरीय समितियां अधिसूचित की गई हैं जिसकी समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध) के प्रभावी कार्यान्वन को प्रदेश के सभी विभागों में सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला व खण्ड स्तरीय उड़नदस्तों का गठन किया गया है।
- हर वर्ष 31 मई को राज्य में "World No Tobacco Day" मनाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाकर तंबाकू के उत्पादों का कम प्रयोग करना है।
- इलैक्ट्रोनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से IEC गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। प्रदेश भर के लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में पंचायत स्तर तक पोस्टरों, रेडियों पर विज्ञापन तथा नुक्कड नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक किया जा रहा है तथा समस्त सार्वजनिक संस्थानों के प्रभारियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार धुम्रपान निषेध बोर्ड प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए गए हैं, और उल्लघंन करने पर कार्यवाही हेतु भी अधिकृत किया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

इस स्थान पर धूम्रपान करना अपराध है उल्लंघन करने पर 200 रु0 तक का जुर्माना किया जाएगा।

- COTPA की धारा 6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध और समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रभारियों एवं प्रशासन शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की क्रि पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए और उलघंन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
- सरकार द्वारा खुली बीड़ी और सिगरेट के विक्रय पर अधिसूचना पत्र संख्या 17880–7374/2015 दिनांक 04–11–2015 के अंतर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया है।
- भारत सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कोटपा अधीनियम, 2003 के प्रावधानों का उल्लघंन करने पर किए गए चालान और उससे एकत्र की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय	कुल किए गए चालानों	चालान के द्वारा एकत्रित की गई

वर्ष	की संख्या	धन राशि (लाख में)
2016–17	46258	मु0 75.52
2017–18	36120	मु0 36.37
2018–19	56936	मु0 50.54

10. हिमाचल प्रदेश क्लीनिक स्थापना (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010:

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28–08–2012 के अन्तर्गत क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण व विनियमन अधिनियम, 2010 (2010 का 23) को राज्य में लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य में सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का अस्थाई रूप से पंजीकरण का कार्य केवल ऑनलाईन तरीके से ही किया जा रहा है।

प्रदेश में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दर्शाई गई सूचना के अनुसार मार्च 2019 तक 12133 सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अस्थाई रूप से पंजीकृत कर दिया गया है तथा कुल 1.38 लाख की राशि गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई है।

अस्थाई रूप से पंजीकृत किए गए सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का ब्योरा इस प्रकार है:–

Medicine Type Wise Approved Clinical Establishments in Himachal Pradesh as on May 2018.

Sl. No	District	Allopathy	Ayurveda	Unani	Siddha	Homeo pathy	Yoga	Naturo pathy	Sowa-Rigpa	Total
1.	Chamba	347	138	1	1	12	4	8	0	511
2.	Kangra	1471	1040	41	10	123	76	85	20	2866
3.	Lahul & Spiti	66	12	0	0	0	0	0	5	83
4.	Kullu	418	202	18	7	13	16	8	2	684
5.	Mandi	816	483	6	1	16	10	5	1	1338
6.	Hamirpur	775	523	26	0	103	4	15	1	1447
7.	Una	635	440	110	20	55	14	16	0	1290
8.	Bilaspur	344	164	3	1	8	7	4	0	531
9.	Solan	557	296	24	3	74	20	17	2	993
10.	Sirmaur	568	349	10	0	11	3	2	0	943
11.	Shimla	853	308	6	0	29	12	8	0	1216
12.	Kinnaur	112	110	0	0	4	3	1	1	231
	Total ..	**6962**	**4065**	**245**	**43**	**448**	**169**	**169**	**32**	**12133**

11. निजी स्वास्थ्य संस्थानों के एम्पैनलमैंट बारे :

हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पैंशनरों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश के अन्दर कुल 116 निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है जिनमें से गत वर्ष में 29 नए निजी अस्पताल है। प्रदेश से बाहर कुल 122 निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है जिनमें से 22 गत वर्ष में जोड़े गए हैं। डॉ0 नरेश कुमार लटठ निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनिमय एवं राज्य के अधिकारियों की टीम ने फरवरी 2019 में दिल्ली जाकर एन0सी0आर0 दिल्ली के 19 प्रतिष्ठित अस्पतालों को मान्यता दी। सभी अस्पतालों के साथ करार किया गया है कि ये अस्पताल हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पैंशनरों का ईलाज अधिसूचना सख्याःएच0एफ0डब्ल्यू0बी0;एफ0 1–1–2008, दिनांक 21–06–2008 तथा अधिसूचना संख्या एच0एफ0डब्ल्यू0बी0;एफ0 8–1/2003,(आई/एन), दिनांक 13–02–2013 के द्वारा अनुमोदित कि गई दरों पर ईलाज करेंगे। वर्ष 2017–18 के दौरान कुल 7 लाख की राशि निरिक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई जिसे सरकार के आदेशानुसार सरकारी कोष में जमा करा दिया गया है। प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची समय–समय पर निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड की जाती है जिसे http://www.hp.gov.in/dhsrhp/Emp_List04-12-2019.pdf पर देखा जा सकता है।

12. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995 :

- विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं की योजना बनाने में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय केन्द्र व राज्य दोनों में नोडल मंत्रालय के रूप में स्थापित है।
- चिकित्सा जिम्मेदारी घटक का कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश शिमला–09 इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नोडल निदेशालय है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगता की रोकथाम व इसके जल्द पता लगाने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तुरन्त हस्तक्षेप के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:–

(1) **प्राथमिक रोकथाम**—मां और बच्चे की देखभाल के उपाए एनआरएचएम द्वारा किए जा रहे हैं।

(2) **माध्यमिक रोकथाम**—प्रारम्भिक चरण में स्वास्थ्य संस्थानों में कुशल मानव बल (मैन पावर) को प्रतिनियुक्त करके व आधारभूत ढांचे को सृजित करके बीमारी की गति को रोकने व जटिलताओं की रोकथाम को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(3) 0–12 वर्ष के बच्चों, जोकि कुल जनसंख्या का 25: है, की क्रीनिंग हर साल की जा रही है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उप–मण्डल स्तर व स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिल कर विकलांगता शिविरों का आयोजन करें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से जल्द से जल्द संदिग्ध मामलों का पता लगाएं तथा पता लगने पर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र विशेषज्ञों के पास भिजवाना सुनिश्चित करें।

(4) जिला स्तर पर हर महीने के निर्धारित दिनों में विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं।

(5) सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओ0पी0डी0 में विकलांग व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर देखें। अस्पतालों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप का निर्माण किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में पहिया कुर्सियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

(6) विकलांग व्यक्तियों के जीवन सुधार हेतु कई प्रकार की सुविधाओं जैसे कि प्रोस्थैटिक कृत्रिम अंग, सुनने की मशीन, बोलने की चिकित्सा पद्धति और सुधारात्मक सर्जरी आदि की सिफारिश की जा रही है।

(7) इस बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व गांव स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित किया जा रहा है।

(8) दुर्घटना उपरान्त पूर्ण रूप से विकलांग होने पर उस संस्थान के डाक्टर जहां रोगी उपचाराधीन है, की रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। यह मामला एस. जे., एस. टी. ओ. बी. सी. एवम् अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के माध्यम से सरकार को भेजा गया है व प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल करने का प्रावधान है। यह सिफारिश की गयी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थान इस तरह के प्रमाण–पत्र जारी करें, जिसमें चिकित्सक को स्पष्ट रूप से विकलांगता नजर आती हो जैसे कि किसी अंग का बिल्कुल काम न करना या अंगहीन होना इत्यादि।

(9) प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में विकलांग जन हेतु बाधा रहित रास्ता बनाने के लिए निर्देश दिये गए हैं और भवन निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं।

13. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 :

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश शिमला–09 उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल निदेशालय है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत, राज्य स्तरीय देह दान समिति अधिसूचित की गई है। जिसके अध्यक्ष प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला है।

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में एक नेत्र बैंक इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला में कार्यरत है तथा प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में एक–एक Eye Donation Center और RPGMC Tanda मे Eye Bank स्थापित किया गया है। गत वर्ष इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला में Kidney Transplant शुरू हो गया है।

14. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 :

प्रदेश में एटॉमिक ऊर्जा अधिनियम, के अन्तर्गत अम्ल में लाई गई उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार से है:–

(1) अभी तक जिला शिमला (शहर) व ग्रामीण तथा जिला सोलन (शहर) के कुछ सरकारी व गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया है जिसमें कि नैदानिक विकिरण चिकित्सा विज्ञान की विस्तृत मशीनरी जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, दन्त एक्सरे मशीनों के पंजीकरण हेतु कार्यवाही अम्ल में लाने बारे सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि उक्त कार्यवाही परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 तहत परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अनिवार्य है।

(2) भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् की अधिसूचना में इंगित प्रावधानों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश में स्थापित सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में स्थापित एक्सरे, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, दन्त एक्सरे मशिनों की जांच सुचारू रूप से की जा रही है तथा जिन सरकारी व गैर–सरकारी अस्पतालों में परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है उन्हें उक्त अधिनियम में निर्धारित मापदण्डों जैसे कि (Registration/License in e-LORA under AERB, TLD Badges, Lead Apprun, Thyorid Shield, Layout of room और Qualified Radiation Worker) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश समय–समय पर जारी किए जा रहे हैं।

(3) पंजाब एवं हरियाणा सरकार की विकिरण सुरक्षा संस्थानों की स्थापना बारे विस्तृत जानकारी हासिल की गई जिसकी रिपोर्ट प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को सौंपी गई है।

15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर0टी0आई0 एक्ट 2005) :

सूचना का अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम प्रदान करना नागरिकों के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का संविधान और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण से सम्बन्धित नागरिकों को जानकारी प्रत्येक राज्य या स्थानीय सरकारी एजैंसी के कामकाज में दायित्व एसआईसी गठित नियंत्रण संचालन और धन के अधिकतम उपयोग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है सरकार और उनकी एजेंसियों के भीतर भष्टाचार की जांच करें।

अपील अधिकारी व सूचना अधिकारी :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी काम कर रहे हैं:–

अपील अधिकारी.––वर्तमान में निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा विनियमन, हि0 प्र0 अपील अधिकारी हैं।

सूचना अधिकारी.––वर्तमान में श्री कपिल धीमान, सहायक औषधि नियंत्रक डी.एच.एस.आर. जन सूचना अधिकारी है तथा तीन सहायक औषधि नियंत्रक मण्डी (मण्डी, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, बिलासपुर एवं

हमीरपुर), सहायक औषधि नियंत्रक नाहन (सिरमौर, सोलन, शिमला एवं किन्नौर) सहायक औषधि नियंत्रक धर्मशाला (कांगड़ा, चम्बा एवं ऊना) और सहायक औषधि नियंत्रक ड्रग्स कंट्रोलर बद्दी में जन सूचना अधिकारी हैं।

प्रगति रिपोर्ट 2018–19.—वर्ष 2018–19 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	विवरण	संख्या
1.	कुल प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की संख्या	70
2.	धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरण मामले	32
3.	उत्तर दिए गए प्रार्थना–पत्रों की संख्या	38
4.	अपील के मामले	9
5.	प्रार्थियों से प्राप्त राशि	रु0 710/–
6.	सरकारी खजाने में जमा राशि	रु0 710/–

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—1612—डी.एच.एस.आर./2019—04—01—2020—50 प्रतियां।